न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–9,
<u>जयपुर महानगर द्वितीय</u>

पीठासीन अधिकारी : **सोनल शुक्ला (आर.जे.एस.)**

फौजदारी निगरानी संख्या : **13 / 2026**

सी.आई.एस. नम्बर : **151 / 2026**

1. आर्यन शर्मा पुत्र निशिथ शर्मा, उम्र 22 वर्ष,
2. निशिथ शर्मा पुत्र स्व0 दिलीप शर्मा, उम्र 50 वर्ष,
3. संदीप शर्मा पुत्र स्व0 दिलीप शर्मा, उम्र 53 वर्ष,
4. यश शर्मा पुत्र संदीप शर्मा, उम्र 21 वर्ष,
5. निखिल शर्मा पुत्र स्व0 दिलीप शर्मा, उम्र 48 वर्ष,

   निवासीयान – मकान नम्बर 4806, के.जी.बी. का रास्ता, तीसरा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर।
6. सुनील दत्ता शर्मा पुत्र स्व0 विष्णु दत्त शर्मा, उम्र 62 वर्ष, निवासी – एस–49–50, जनता कॉलोनी, जयपुर।
7. रोहित अग्रवाल पुत्र श्री श्रवण अग्रवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी – दुकान नम्बर 4801 व दुकान नम्बर 4803, के.जी.बी. का रास्ता, तीसरा चौराहा जौहारी बाजार, जयपुर।

———निगरानीकर्तागण / अभियुक्तगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजन जयपुर महानगर।
2. रंजना शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा, उम्र 64 वर्ष, निवासी – मकान नम्बर 4806, के.जी.बी. का रास्ता, तीसरा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर। हाल निवासी – मकान नम्बर 5–ए, जनकपुरी प्रथम, इमलीवाला फाटक, जयपुर।
3. अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नथमल शर्मा, उम्र 64 वर्ष, हाल निवासी – मकान नम्बर 5–ए, जनकपुरी प्रथम, इमलीवाला फाटक, जयपुर।

———गैर निगरानीकर्तागण

<u>फौजदारी निगरानी अन्तर्गत धारा 397 सी.आर.पी.सी.</u>
<u>विरूद्व आदेश दिनांक 17.01.2026</u>

प्रकरण संख्या – 202 / 2025
उनवानी सरकार बनाम आर्यन व अन्य
पीठासीन अधिकारी : श्री कन्हैयालाल पारीक (आर.जे.एस.)
न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय

उपस्थिति :–

1. **श्री पुनीत दत्त शर्मा,** विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. **श्री सुरेश कुमावत,** विद्वान् अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं0 1
3. **श्री संजय जोशी,** विद्वान् अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं0 2 व 3

: : आदेश : : दिनांक : 07–08–2026

1. निगरानीकर्तागण की ओर से यह निगरानी याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2026 से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायालय में प्रस्तुत की जो अंतरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज की गई।

2. परिवादी रंजना शर्मा व अशोक कुमार शर्मा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 204 / 2023 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 34 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्तगण आर्यन शर्मा, यश शर्मा, निशिथ शर्मा व संदीप शर्मा के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 34 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। इस पर परिवादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 354, 143 आई.पी.सी. के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत् पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05–10–2024 द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर परिवादिया द्वारा एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–08, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा आदेश दिनांक 07–05–2025 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनकर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 354, 452 सपठित धारा 149 आई.पी.सी. के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत् दिनांक 17–01–2026 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई।

3. बहस निगरानी उभय पक्ष सुनी गई।

4. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्तागण / अभियुक्तगण ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकर्तागण के मध्य मुख्य विवाद पुश्तैनी सम्पत्ति मकान नम्बर 4806 केजीबी का रास्ता, तीसरा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर को लेकर है, जिस बाबत् अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3, जयपुर जिला जयपुर में लंबित दीवानी वाद में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है तथा उक्त आदेश के बावजूद गैर निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए निर्माण कार्य चालू किया, जिसकी वीडियों रिकॉर्डिंग करने को लेकर उक्त

विवाद उत्पन्न हुआ है। उक्त प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 व निगरानीकर्ता संख्या 7 के मध्य दुकान नम्बर 4802 को लेकर लंबा विवाद चला था, जिसमें एक पक्षीय निर्णय के पश्चात् उक्त निगरानीकर्तागण संख्या 3 द्वारा विवादित दुकान अशोक शर्मा को सुपुर्द कर दी, जिसमें गैर निगरानीकर्तागण ने रंजिशवश उक्त निगरानीकर्ता संख्या 7 रोहित अग्रवाल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दर्ज करवायी एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की गई, जिसमें अधिवक्ता के रूप में निगरानीकर्ता संख्या 6 ने अपना वकालतनामा पेश किया, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता संख्या 6 के विरूद्ध आदेश पारित किया। निगरानीकर्ता संख्या 6 नगर निगम हेरिटेज में निर्वाचित स्थानीय पार्षद भी है, जिन्हें रंजिशवश फसाया गया है। तथाकथित वाक्या की सूचना निगरानीकर्ता संख्या 6 को निगरानीकर्ता संख्या 5 द्वारा दी गई थी और उसके घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व ही पुलिस जाप्ता वहां पहुंच चुका था और अनुसंधान के दौरान निगरानीकर्ता संख्या 5 व 6 की ओर से अपनी कॉल लोकेशन और मोबाईल पर हुई बातचीत की ऑडियों डिटेल पैनड्राईव भी बनाकर अनुसंधान अधिकारी को दे दी थी, जिसके आधार पर ही निगरानीकर्ता संख्या 5 व 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं माना। गैर निगरानीकर्तागण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण बाबत् प्रोटेक्शन दर्ज करवाया हुआ था, जिसके दबाव में आकर पुलिस थाना, रामगंज द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में बावजूद मेडिकल व 164 सी.आर. पी.सी. के बयान के बावजूद उचित अन्वेषण नहीं किया। घटना के 2 साल बाद निगरानीकर्ता अपने प्रयास से मोबाईल कम्पनी से मोबाईल कॉल लोकेशन व रिकॉर्डिंग संकलित नहीं कर सकते, इस हेतु प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जावे ताकि अधीनस्थ न्यायालय को निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 5 व 6 के घटना स्थल मौजूद नहीं होने के बाद भी गैर निगरानीकर्ता के साथ छेड़कानी की घटना कारित किये जाने का झूठा कथन सामने आ सके। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 17–01–2026 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

[i] Hob'ble Andhra Pradesh High Court,
The State of A.P. V/s. Donampudi Samuel

[ii] Hob'ble Rajasthan High Court, S.B. Cri. Mis. Peti. No. 2262/2011
Sunil Kumar Pareek V/s. State of Rajasthan

[iii] 2017(2) WLC (Raj) UC Page 183
Akabar Khan V/s. State of Rajasthan

[iv] 2018(2) Cri.CC (Raj) Page 824
Choru Lal & Anr. V/s. State of Rajasthan

[v] 2017(2) Cri.CC (Delhi) Page 696
Court on its own motion V/s. State

5. इसके खण्डन में विद्वान् अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता

गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही प्रकार विवेचन कर विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

[i] 2022 Supreme (SC) Page 231
Nahar Singh V/s. The State of Uttar Pradesh & Anr.

[ii] AIR 1980 (SC) Page 628
Dhanabal and Anr. V/s. State of Tamil Nadu

[iii] AIR 2013 (SC) Page 651
R. Shaji V/s. State of Kerala

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि :–

"क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2026 अनियमित, अशुद्ध, अवैध व अनऔचित्यपूर्ण होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है?"

8. निगरानीकर्तागण / आरोपीगण द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 354, 452 सपठित धारा 149 आई.पी.सी. के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत् पारित आदेश दिनांक 17–01–2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्तागण का निगरानी याचिका में मुख्य रूप से यह आधार रहा है कि गैर निगरानीकर्तागण ने रंजिशवश निगरानीकर्ता संख्या 7 रोहित अग्रवाल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने पर अधिवक्ता के रूप में निगरानीकर्ता संख्या 6 ने अपना वकालतनामा पेश किया। नगरानीकर्ता संख्या 6 नगर निगम हेरिटेज में निर्वाचित स्थानीय पार्षद भी है, जिसे रंजिशवश फसाया गया है। तथाकथित वाक्या की सूचना निगरानीकर्ता संख्या 6 को निगरानीकर्ता संख्या 5 द्वारा दी गई थी और उसके घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व ही पुलिस जाप्ता वहां पहुंच चुका था और अनुसंधान के दौरान निगरानीकर्ता संख्या 5 व 6 की ओर से अपनी कॉल लोकेशन और मोबाईल पर हुई बातचीत की ऑडियों डिटेल की पैनड्राईव बनाकर अनुसंधान अधिकारी को दे दी थी, जिसके आधार पर ही निगरानीकर्ता संख्या 5 व 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं माना। पुलिस थाना, रामगंज द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में बावजूद मेडिकल व धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान के उचित अन्वेषण नहीं किया गया। विद्वान् अधीनस्थ न्यायाल ने उक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो इस न्यायालय के समक्ष यह स्थिति प्रकट होती है कि गैर निगरानीकर्ता / परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 204 / 2023 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 34 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्तगण आर्यन शर्मा, यश शर्मा,

निशिथ शर्मा व संदीप शर्मा के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 34 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। इस पर परिवादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 354, 143 आई.पी.सी. के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत् पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05–10–2024 द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर परिवादिया द्वारा एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–08, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा आदेश दिनांक 07–05–2025 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनकर आदेश पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 190 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष को पुनः सुनकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 354, 452 सपठित धारा 149 आई.पी.सी. के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने बाबत् दिनांक आदेश 17–01–2026 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि *''माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में परिवादिया रंजना शर्मा के धारा 164 द.प्र.सं. व धारा 161 दं.प्र.सं. का अवलोकन किया गया। परिवादिया रंजना शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाये गये धारा 164 द.प्र.सं. के बयानों की घटना में आर्यन, निशिथ, यश व संदीप के साथ–साथ सुनील, रोहित व निखिल के द्वारा एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में दुकान में घुसने, उसकी लज्जा भंग करने, यश और आर्यन द्वारा वीडियों बनाने, उसकी पीठ व सीने पर जगह–जगह बार–बार हाथ लगाने व उसकी वीडियों बनाने का भी कथन किया है। साथ ही परिवादिया ने अपने बयानों में उसके पति व उसके साथ दुकान के अंदर मारपीट किये जाने का भी कथन किया है। पत्रावली पर नक्शा मौका बाद अनुसंधान के दौरान तैयार किया गया, उसका अवलोकन किया जाए तो एक्स स्थान पर मारपीट किया जाना अंकित किया गया है जो घटना स्थल बताया गया है उक्त घटना स्थल दुकान संख्या 4802 के भीतर बताया गया है। इसके अलावा परिवादिया के कथनों का समर्थन मौके पर मौजूद परिवादिया के पति अशोक कुमार शर्मा द्वारा किया गया है। हालांकि स्वतंत्र गवाह कन्हैयालाल व भाविक पटेल द्वारा परिवादिया के कथनों का आंशिक रूप से समर्थन किया गया है, लेकिन परिवादिया व अन्य गवाह अशोक द्वारा रिपोर्ट में वर्णित कहानी का पूर्ण समर्थन किया गया है। प्रसंज्ञान की स्टेज पर न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या मामला देखना होता है कि आरोपीगण द्वारा किस प्रकार का कृत्य किया गया है, जिसका विचारण किया जाना आवश्यक है, हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण आर्यन, निशिथ, यश व संदीप के साथ–साथ अन्य अभियुक्तगण सुनील, रोहित व निखिल के विरूद्ध भी आगे कार्यवाही करने के प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त आधार मौजूद हैं। साथ ही जहां तक धारा 354 व 452 भा.दं.सं. का प्रश्न है तो परिवादिया के कथनों व बयानों से उक्त धाराओं में भी प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि*

अभियुक्तगण आर्यन, निशिथ, यश व संदीप के साथ–साथ अन्य अभियुक्तगण सुनील, रोहित व निखिल के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 354, 452 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाता है।'' प्रसंज्ञान के संदर्भ में विधिक सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत सोनु गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता व अन्य (2015) 3 एससीसी 424 में स्पष्ट किया है तथा यह प्रतिपादित किया है किः–

"At the Stage of cognizance and summoning the Magistrate is required to apply his judicial mind only with a view to take cognizance of the offence, or, in other words, to find out whether prima facie case has heen made out for summoning the accused persons. At this stage, the learned Magistrate is not required to consider the defence version or materials or arguments nor is he required to evaluate the merits of the materials or evidence of the complainant, because the Magistrate must not undertake the exercise to find out at this stage whether the materials will lead to conviction or not."

9. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर मजिस्ट्रेट को सिर्फ प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के बारे में अपने न्यायिक चित का प्रयोग करना होता है। इस स्तर पर मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं है कि वह बचाव पक्ष के तर्क और सामग्री को निर्धारण में ले तथा उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवादी पक्ष की साक्ष्य और सामग्री का गहनता से गुणावगुण पर विश्लेषण करे। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से इस निगरानी न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निगरानी न्यायालय द्वारा निगरानी याचिका में पारित आदेश की पालना में उभय पक्षकारान् को पुनः सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 354, 452 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का प्रथमदृष्ट्या अपराध बनना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया है। जहां तक निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी याचिका में उठाये गये उपरोक्त आधारों का प्रश्न है तो निगरानीकर्तागण उक्त समस्त आधारों को प्रकरण के विचारण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाने हेतु स्वतंत्र है।

10. इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में माननीय कनार्टक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Cri. Revision Petition No. 606/2020, K. Kuppuraj Kannappa V/s. J. Thrilokamurthy, Date of Order 05-10-2020 यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

"5. This Court in exercise of power under Section 397 of Cr.P.C. cannot re-appreciate the evidence and arrive at a different conclusion, even if different view is possible from the evidence. The jurisdiction under Section 397 of Cr.P.C. could be exercised only when the decision under challenge is found grossly erroneous, non-compliance with the provisions of law; finding of fact affecting the decision is not based on evidence; non-consideration of the material evidence and that the lower court has exercised the discretion arbitrarily or perversely and acted in

excess of its jurisdiction or abused its power resulting in failure of justice. No such errors or illegalities are found in the impugned order."

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का भली–प्रकार अवलोकन एवं विवेचन करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित किया जाना दृष्टिगत होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता, अशुद्धता एवं अनियमितता होना प्रकट नहीं होता है। विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम भली–भांति सहमत हैं। किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, जिससे उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से निगरानीकर्तागण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी/निगरानीकर्ता की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है व अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

12. फलस्वरूप निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 17.01.2026 को पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(सोनल शुक्ला)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–9,
जयपुर महानगर–द्वितीय

13. आदेश आज दिनांक 07–08–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सोनल शुक्ला)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–9,
जयपुर महानगर–द्वितीय